न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/114/19	15–10–2019	10–11–2020

01. कौशल्या देवी बेवा शेरसिंह
02. दयाराम पुत्र शेरसिंह पौत्र सरदारसिंह
03. बहीचन्द पुत्र शेरसिंह पौत्र सरदारसिंह निवासीयान फौलादपुर तह0नीमराना जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. एवन बिल्ड होम एल एल पी पंजीकृत कार्यालय 3 हरदोई मार्केट अजमेर रोड जयपुर जरिये प्रतिनिधि मनीष बोहरा पुत्र पी0सी0बोहरा

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार नीमराना, के दिनांक 09–07–2015 बाबत इन्तकाल सं0 3434 वाके ग्राम शाहजहापुर तहसील नीमराना जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री अमर सिंह यादव –वकील अपीलान्ट
02. श्री मनीष कुमावत –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 09.07.15 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 3434 वाके ग्राम शाहजहापुर तहसील नीमराना जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के यहां राजस्व वाद बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी वादी एवन क्रेसिंग कम्पनी प्रा0लि0 पंजिकृत कार्यालय ए–10 विजय नगर, करतारपुरा जयपुर जरिये प्रतिनिधि मनीष बोहरा पुत्र पी सी बोहर की ओर से उनवान एवन क्रेसिंग कम्पनी प्रा0लि0 बनाम कौशल्या देवी वगैरा बाबत आराजी खसरा नम्बर हाल 917 रकबा 83 ऐयर, 921 रकबा 71 ऐयर वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना किया जिसमें अपीलान्ट की एकतरफा में स्वीकार कर दिनांक 4.2.15 को प्रारम्भिक डिक्री प्रदान की थी फाईनल डिक्री 23.6.15 को पारित की गई थी। परन्तु जो

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

फाईनल डिक्री पारित की गई वह रैस्पा0 सं0 1 एवन बिल्ड होम एल एल पी पंजीकृत कार्यालय 3 हरदोई मार्केट अजमेर रोड जयपुर के पक्ष में की गई जो कानूनन डिक्री अवैध थी और इस आधार पर विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया। तहत अदालत ने इंतकाल दर्ज व स्वीकार करते समय अपीलान्ट को ना तो सुना गया और ना ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। तहत अदालत ने इंतकल दर्ज करते समय मौका का अवलोकन नहीं किया है और बालाबाला ही अपीलीय निर्णय पारित कर दिया। विवादित इंतकाल स्वीकार करने से अपीलान्ट को भारी नुकसान है। तहत अदालत ने बिना जांच किए अपीलीय निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है। इन्तकाल दर्ज व निर्णित कर दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अपील अन्दर मियाद है। स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान वकील रेस्पा0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा विवादित इंतकाल मुताबिक उप खण्ड अधिकारी नीमराना के प्रचलित डिक्री अनुसार दर्ज व स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया एवं कानून की मंशा देखी गई। दौराने बहस अपील में रैस्पा0 के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 जा0 दी0 पेश किया गया। अपीलान्ट प्रार्थना पत्र की नकल अपीलान्ट वकील को उपलब्ध कराई गई, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है विवादित इंतकाल उप खण्ड अधिकारी नीमराना के आदेश द्वारा खोला गया है–यदि न्यायालय के आदेश से कोई आपत्ति है तो विधि प्रक्रिया अनुसार संबंधी न्यायालय में चाराजोही कर सकते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार नीमराना का आदेश दिनांक 09.07.2015 यथावत् रखा जाता है। निर्णय प्रति तहसीलदार नीमराना को तहत रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)